न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 85/2022(GCMS : 2023/123)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

श्री आकाश बवेजा पुत्र श्री रतनेश बवेजा, निवासी फ्लैट नं0 16 एलआईजी द्वितीय तल, रिद्धि सिद्धि आंगन,एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर (राज.)

14.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 19.06.2023 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी आकाश बवेजा को ऋण सुविधा के रूप में राशि 8.64/– लाख रूपये (अखरे रूपये आठ लाख चौंसठ हजार मात्र) का ऋण दिनांक 15.02.2019 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी आकाश बवेजा द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति रिहायशी फ्लैट नं. 16, एलआईजी (क्षेत्रफल 464.72 वर्गफीट) द्वितीय तल, रिद्धि सिद्धि आंगन, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी आकाश बवेजा को 8.64/– लाख रूपये** के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 15.02.2019 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी आकाश बवेजा ने अपनी अचल सम्पत्ति रिहायशी फ्लैट नं. 16, एलआईजी (क्षेत्रफल 464.72 वर्गफीट) द्वितीय तल, रिद्धि सिद्धि आंगन, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋण खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 01.02.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 01.02.2023** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने पर नोटिस की तामील नहीं हुई तो प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस उसके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी **आकाश बवेजा की अचल सम्पत्ति रिहायशी फ्लैट नं. 16, एलआईजी (क्षेत्रफल 464.72 वर्गफीट) द्वितीय तल, रिद्धि सिद्धि आंगन, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 01.02.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 01.02.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड **डाक से भिजवाना अंकित है धारा13(2) के नोटिस अप्रार्थी को** [illegible] **होने पर प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस उसके निवा**[illegible] **समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं सीमा संदेश में दिनांक 11.03.2023 क**[illegible]**काशित करवाया है। जिसके**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी आकाश बवेजा के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **आकाश बवेजा द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति रिहायशी फ्लैट नं. 16, एलआईजी (क्षेत्रफल 464.72 वर्गफीट) द्वितीय तल, रिद्धि सिद्धि आंगन, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.08.22 17:03:44 IST
Reason: SelfAttested